

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या- प्रशि.प्रको./विशेषज्ञ/पुनर्योजन/2020-21/2651

लखनऊ : दिनांक 14/09/2020

-:: आदेश ::-

नवीन विशेषज्ञ

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-157/सेक-2-पाँच-14-7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या-1961/सेक-2-पाँच-14-7(255)/13, दिनांक 18.06.2014, संख्या-965/सेक-2-पाँच-16-7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016, शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पाँच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-2996/सेक-2-पाँच-17-7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित चिकित्सकों को परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय में नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।

- 1- पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सल्टैन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।
 - (2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।
 - (3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।
 - (4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भाँति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।
 - (5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16-ए में प्राविधानित है।
 - (6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।
 - (7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भाँति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।
 - (8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।
- 2- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है, यदि कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

- 3- सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।
- 4- यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० के संज्ञान में लाया जाय।
- 5- पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को सेवानिवृत्त तिथि अथवा आदेश निर्गत तिथि, जो भी बाद में हो, से 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान करना होगा, यदि पुनर्योजित परामर्शी उपरोक्तानुसार 15 दिन में सेवा में योगदान नहीं करते हैं। तो यह माना जायेगा कि सम्बन्धित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

S. No.	Name	Seniority Number	DOB	Date of Retirement	Specialist	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. Suneet kumar varshney	5853	05-07-1958	31-07-2020	Orthopaedics Specialist	Pt.DDU Hospital Aligarh
2.	Dr. Nalini Kant Tripathi	5831	08-02-1957	28-02-2017	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Ambedkar Nagar
3.	Dr. Ashok Kumar Singh	9051	16-06-1958	30-06-2020	Anesthetist	District Male Hospital Ayodhya
4.	Dr. Satyanarayan Gupta	7900	15-06-1958	30-06-2020	Surgeon	District Male Hospital Unnao
5.	Dr. Pradeep Kumar Singh	7157	20-02-1958	29-02-2020	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Barabanki
6.	Dr. Ram Kumar Verma	8227	08-12-1957	31-12-2019	Paediatrician	District Male Hospital Barabanki
7.	Dr. Javed Ahmad Khan	9888	30-06-1958	30-06-2020	Pathologist	District Male Hospital Barabanki
8.	Dr. Hari Mohan Gupta	9759	29-06-1958	30-06-2020	Chest Disease Specialist	District Male Hospital Bijnor
9.	Dr. Kaushal Kishor Singh	7810	09-01-1958	31-01-2020	Paediatrician	District Male Hospital Bijnor
10.	Dr. Rajendra Prasad	6088	12-01-1958	31-01-2020	Paediatrician	District Male Hospital Chandauli
11.	Dr. Shyam Suri	5134	02-01-1957	31-01-2017	Eye Surgeon	District Male Hospital Etawah
12.	Dr. Anil Kumar Gupta	6701	10-04-1958	30-04-2020	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Fatehpur
13.	Dr. Ramesh Chandra Sharma	6850	10-01-1958	31-01-2020	Eye Surgeon	District Male Hospital Gautam Buddha Nagar
14.	Dr. Praveen Raka	8913	15-06-1958	30-06-2020	Gynecologist	Distict Combined Hospital, Sanjay Nagar, Ghaziabad
15.	Dr. Ahsan Jamil	6150	15-05-1956	31-05-2016	DTCD	District Male Hospital Gonda
16.	Dr. Satyadev	8465	07-09-1957	30-09-2019	Orthopaedics Specialist	Under CMO Gonda
17.	Dr. Satish Chandra Verma	6232	02-02-1958	29-02-2020	Pathologist	District Male Hospital Hamirpur
18.	Dr. Sunil Kumar Kaushik	8029	30-03-1958	31-03-2020	Medicine Specialist	District Male Hospital Hapur
19.	Dr. Anil Kumar Agrwal	6918Ka	30-06-1958	30-06-2020	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Hapur

20.	Dr. Ramniwas Harit	7022	12-08-1958	31-08-2020	Paediatrician	District Male Hospital Hapur
21.	Dr. Vijay Kumar	8886	08-05-1958	31-05-2020	Eye Surgeon	District Male Hospital Hardoi
22.	Dr. Pradeep Kumar Sharma	8429	02-07-1958	31-07-2020	Paediatrician	District Male Hospital Hathras
23.	Dr. Umesh Aherwar	8442	21-04-1958	30-04-2020	Eye Surgeon	Distict Male Hospital Jhansi
24.	Dr. Balveer Krishna Gupta	5920	20-10-1957	31-10-2019	Surgeon	District Male Hospital Jhansi
25.	Dr. Prem Narain Parya	7263	06-04-1958	30-04-2020	Surgeon	District Male Hospital Hamirpur
26.	Dr. Ajay Singh Kotwal	5945	10-01-1958	31-01-2020	Chest Disease Specialist	TB Hospital Thakurganj Lucknow
27.	Dr. Ina Gupta	6397	18-05-1958	31-05-2020	Gynecologist	Virangana Jhalkari Bai Female Hospital Lucknow
28.	Dr. Prem Kumar Dubey	9388	28-03-1958	31-03-2020	Ophthalmologist	Dr. SPM (Civil) Hospital Lucknow
29.	Dr. Pradip Tiwari	7867	12-03-1958	31-03-2020	Plastic Surgery Specialist	Dr. SPM (Civil) Hospital Lucknow
30.	Dr. Pramod Kumar Singh	7972	18-02-1958	29-02-2020	Social And Preventive Medicine (SPM) Specialist	Balarampur Hospital Lucknow
31.	Dr. Arun Chandra Dwivedi	8061	30-06-1957	30-06-2019	Surgeon	Dr. SPM (Civil) Hospital Lucknow
32.	Dr. Uma Kant Prasad	7787	01-08-1958	31-07-2020	Surgeon	LBR Hospital Lucknow
33.	Dr. Chandra Pal Singh	6852	16-06-1958	30-06-2020	Paediatrician	District Male Hospital Mathura
34.	Dr. Anwar Sajjad	9944	01-03-1958	29-02-2020	Chest Disease Specialist	District Male Hospital Mau
35.	Dr. Mahendra Kumar	8368	01-03-1958	29-02-2020	Eye Surgeon	District Male Hospital Mizapur
36.	Dr. Mahaveer Singh	9137	01-05-1958	30-04-2020	Pathologist	District Male Hospital Pilibhit
37.	Dr. Radhey Shyam	7170	25-06-1958	30-06-2020	Surgeon	District Male Hospital Pilibhit
38.	Dr. Ajai Kumar Chadda	5867	09-04-1958	30-04-2020	Ophthalmologist	District Male Hospital Prayagraj
39.	Dr. Amaresh Kumar	11278	10-01-1957	31-01-2017	Skin And Venereal Disease Specialist	TB Spru Hospital Prayagraj
40.	Dr. B K Singh	8756	01-07-1958	30-06-2020	Eye Surgeon	District Male Hospital Raebareli
41.	Dr. Rajnath Prasad Roy	9656	01-03-1958	29-02-2020	Paediatrician	District Male Hospital Sant Kabir Nagar
42.	Dr. Ashok Kumar Singh	8285	10-04-1958	30-04-2020	Radiologist	District Male Hospital Sant Ravidas Nagar
43.	Dr. Raj Kumar Shukla	7973	01-05-1958	30-04-2020	Social And Preventive Medicine (SPM) Specialist	Under CMO Sant Ravidas Nagar
44.	Dr. Surendra Singh Negi	8453	03-06-1958	30-06-2020	Ent Specialist	District Male Hospital Sitapur
45.	Dr. Arun Kumar Gautam	6094	01-03-1958	29-02-2020	Eye Surgeon	District Male Hospital Sitapur
46.	Dr. Pushkar Anand	5697	22-07-1957	31-07-2019	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Kanpur Dehat

47.	Dr. Suryanath Dixit	8683	04-07-1958	31-07-2020	Dermatologist Specialist	SSPG Hospital Varanasi
48.	Dr. Arvind Kumar Srivastava	7895K	04-07-1957	31-07-2019	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Raebareli

For Selected Candidate:-

- It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- The time for joining will be 15 days within date of appointment.


महानिदेशक

संख्या-प्रशि.प्रको./विशेषज्ञ/पुनर्योजन/2020-21/2652-61

तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3-मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, लखनऊ।
- 4-संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 5- महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नारायण रोड, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6-सम्बंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरुष/महिला) चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 7-सम्बंधित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8-चिकित्सा अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9-संबंधित चिकित्सक/अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सेवानिवृत्त तिथि अथवा आदेश निर्गत तिथि के 15 दिन के भीतर जो भी बाद में हो, प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तथा योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर महानिदेशालय के (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।
- 10- गार्ड फाइल।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)